उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-3

संख्या- 7/2017/28 आई0जी0आर0एस0/37-3-2017-3(28)/2017

लखनऊः दिनांक 27 सितम्बर, 2017

कार्यालय-आदेश

श्री बृजेश चन्द्र उपाध्याय, परियोजना सहायक, जिनकी पहली मूल नियुक्ति चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अधीन पशुचिकित्सा एवं पशुपालन संकाय, मथुरा की चारागाह एवं चाराशोध सम्भाग में क्षेत्र सहायक के पद पर वेतनमान रू0 470-735 में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी तौर पर की गयी थी। पशुचिकित्सा एवं पशुपालन संकाय, मथुरा को अक्टूबर, 2001 में विश्वविद्यालय ''उ0प्र0 पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा'' का दर्जा प्राप्त हुआ। श्री बृजेश चन्द्र उपाध्याय की सेवायें विश्वविद्यालय की अधिनियम की धारा-51ग के तहत परियोजना सहायक के रूप में हस्तगत हुई, परन्तु श्री उपाध्याय निरन्तर परियोजना सहायक/शोध सहायक का पदनाम लिखकर विश्वविद्यालय को भ्रमित करते रहे हैं। उनका कभी भी दैनिक समाचार पत्रों में जारी विज्ञापन के सापेक्ष चयन नही हुआ है, जबकि परियोजना सहायक/शोध सहायक के पद पर नियुक्ति नियमानुसार विज्ञापन जारी करने की उपरान्त की जाती है। उनके निर्गत नियुक्ति पत्र को आंशिक संशोधित करते हुए नियुक्ति के दिनांक से ही यू0जी0सी0 वेतनमान 500-900 दिये जाने एवं पदनाम अनुसंधान सहायक किये जाने के आदेश किये गये हैं। वर्तमान में डा0 के0एल0एम0 पाठक, कुलपति, उ0प्र0 पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा को गुमराह कर श्री बृजेश चन्द्र उपाध्याय को नियम विरूद्ध तरीके से शोध सहायक मानते हुए डेयरी फार्म मैनेजर का पदनाम एवं सहायक आचार्य का वेतनमान दिये जाने संबंधी प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है जो बी0वी0एस0सी0 एण्ड ए0एच0 योग्यता धारित पद है।

2- उक्त के संबंध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्रकरण की विभागीय जॉच संयुक्त रूप से कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। अतः एतद्द्वारा प्रकरण की जॉच करने हेतु विशेष सचिव, पशुधन अनुभाग-3, उ0प्र0शासन एवं वित्त नियंत्रक, पशुपालन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को संयुक्त रूप से जॉच अधिकारी नियुक्त किये जाने के श्री राज्यपाल आदेश प्रदान करते हैं।

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-7/2017/28 आई0जी0आर0एस0 **(1) /37-3-2017, तद्‌दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1)- विशेष सचिव, पशुधन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश, शासन।

(2)- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(3)- वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(4)- प्रशासक/प्रस्थापना अधिकारी, उ0प्र0 पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान।

(5)- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

वेदप्रकाश सिंह राजपूत
उप सचिव।

http://Shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।